Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol.6, Issue-III, January 2021

भारत में थर्डजेण्डर की विधिक स्थिति कानपुर संभाग के विषेष संदर्भ में
(Legal Status of Third Gender in India with Special Reference to Kanpur Division)

Dr. Ganesh Dubey
(Professor & Supervisor) Director,
School of Law,
Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh, India Pin 474011
Email: dr.ganeshdubey27@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2395-2402
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v6n3.10

Priya Jain
Ph.D. Scholar (Law)
Institute of Law(SOS),
Jiwaji university, Gwalior, Madhya Pradesh, India.
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8565-7209
Email: adv.priyajain1982@gmail.com

संक्षिप्त रूप

स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान किया गया हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही 'न्याय' का मुख्य उद्देश्य है।[1] बावजूद इसके समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने अस्पष्ट जेण्डर और यौनिक पहचान के कारण समानता के अधिकार से वंचित रहने को मजबूर था परन्तु 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ''नालसा वाद निर्णय'' थर्डजेण्डर समुदाय की स्थिति और उन्हें स्पष्ट पहचान देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था। जिसमें भारतीय संविधान के तहत दिए गए सभी मौलिक अधिकार थर्डजेण्डर पर भी समान रूप से लागू होते है और थर्डजेण्डर समुदाय को एक स्पष्ट पहचान प्रदान करता है। इस शोध पत्र के माध्यम से थर्डजेण्डर की विधिक स्थिति के साथ–साथ सामाजिक स्थिति का अवलोकन करना है।

शब्दकुंजी: ट्रांसजेण्डर, समलैंगिक, विषम–लैंगिक, यौन अभिविन्यास, यौन तीसरा लिंग, यौन अल्पसंख्यक।

परिचय

प्रत्येक मनुष्य एक जैविक पहचान के साथ उत्पन्न होता है इसी पहचान से वह स्त्री या पुरुष कहलाता है। मानव समाज की संरचना ही स्त्री–पुरुष के आपसी संबंध से होती है। गर्भ के समय गर्भकालीन विसंगति के परिणामस्वरूप स्त्री–पुरुष से भिन्न या मिश्रित संरचनाओं वाले व्यक्ति का जन्म होता है जिसे समाज किन्नर, हिजड़ा, थर्डजेण्डर, छक्का, खोजा, खुसरा, जगप्पा, उभयलिंगी, पवैय्या, युनुच इत्यादि नामों से जाना जाता है। थर्डजेण्डर जिन्हें ट्रांसजेण्डर के रूप में पहचाना जाता है, एवं थर्डजेण्डर वह व्यक्ति है जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह बिताता हैं। जब किसी व्यक्ति के जननांगो और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग अनुरूप नहीं होता है। तब ऐसे शिशु का जन्म होता है।

इस संदर्भ में वैदेही कोठारी जी लिखती है–

महिला में (x-x) क्रोमोजोम्स होते है और पुरुष में (x-y) महिला के (x) क्रोमोजोम्स और पुरुष के (y) क्रोमोजोम्स के मिलने पर नर भ्रूण बनता है परन्तु कई बार क्रोमोजोम्स के मिलने में विसंगति होने की वजह से भ्रूण में नर या मादा से भिन्न। मिश्रित भ्रूण बन जाता है, जिसे हम थर्डजेण्डर या किन्नर के रूप में जानते है। और यही इस चर्चा का आधार है।[2]

भारत में ट्रांसजेण्डर/थर्डजेण्डर की स्थिति 2011 में जनगणना के अनुसार भारत के 4.9 लाख ट्रांसजेण्डर है जिनमें से मात्र 30,000 चुनाव उपयोग में पंजीकृत है। लेकिन उनकी वास्तविक संख्या इससे कई गुना ज्यादा अनुमानित है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 में दिये गए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार अब देश में तीसरे लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता प्राप्त है और ट्रांसजेण्डर को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में अपने स्वयं की पहचान तय करने का अधिकार है।

कानपुर संभाग में थर्डजेण्डर्स से संबंधित समस्या–

असमानता हमारे समाज के लिए एक गहन वैचारिक विषय है। असमानता से तात्पर्य हैं कि जन्म, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद किया जाना। समाज में एक ऐसा वर्ग भी मौजूद है जिसके पास मौलिक अधिकार तो है परन्तु शतकों से असमानता का दंश झेल रहा है। प्रस्तुत शोध–पत्र में कानपुर संभाग में थर्डजेण्डर्स की सामाजिक असमानता की मुख्य समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। हाशिए के समूहों में यह तथाकथित थर्डजेण्डर वर्ग सबसे वंचित समूह हैं जिसे परिवार, समाज हर कोई दबाता है। थर्डजेण्डर्स को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा आदि प्रत्येक क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे प्रमुख समस्या है–

शिक्षा– मानव का प्राथमिक मूलाधिकार शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के अन्दर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है इसलिऐ ही शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम स्थान विद्यालय है। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ व्यक्ति ज्ञान, कौशल, मानदण्ड और नैतिक मूल्य प्राप्त करते है परन्तु थर्डजेण्डर की बात की जाये तो इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, क्या ऐसे बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? समाज में इन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता हैं? प्रस्तुत अध्ययन में कानपुर संभाग के 50 उत्तरदाताओं से उनकी शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई और शोध द्वारा यह ज्ञात हुआ कि इस समुदाय में अधिकांश थर्डजेण्डर निरक्षर है यदि कुछ पढ़े लिखे भी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक–1.1

उत्तरदाता की शिक्षा संबंधी विवरण

क्र.	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	19	38
2.	माध्यमिक स्तर	27	54
3.	उच्चतर माध्यमिक स्तर	4	8
योग		**50**	**100**

प्रस्तुत शोध में 50 उत्तरदाताओं को उनकी शिक्षा के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम वर्ग में निरक्षर जो कि 19 (38 प्रतिशत) थे। द्वितीय वर्ग माध्यमिक स्तर तक में 22 (44 प्रतिशत) थर्डजेण्डर शामिल है तथा तृतीय वर्ग उच्चतम माध्यमिक स्तर तक केवल 4 (8 प्रतिशत) थर्डजेण्डर सम्मिलित है।

उपरोक्त आंकलन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर में थर्डजेण्डर्स की शिक्षा की स्थिति सोचनीय विषय हैं। इसके अलावा भी इन्हें रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विभिन्न न्यायिक दृष्टिकोण को कालक्रमानुसार दर्शाया गया है ताकि थर्डजेण्डर्स की अब तक की विधिक स्थिति को वाद–निर्णयों के माध्यम से जाना जा सके।

ट्रांसजेण्डर्स से संबंधित प्रमुख वाद निर्णय–

ट्रांसजेण्डर समुदाय में अपनी पहचान और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष की शुरूआत 1990 के दशक से दिखाई देने लगी। सबसे पहले राजनीति में इसका प्रभाव देखने को मिला जब अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे ट्रांसजेण्डर को मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तब से कानूनी रूप से ट्रांसजेण्डर का संघर्ष जारी है।

कमला इलियास जान हिजरा बनाम सादिक अली 2003[3], के वाद में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीरेन्द्र जैन ने पौराणिक ग्रन्थों, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, मनुस्मृति और कामसूत्र के साथ अकबर, अलाउद्दीन खिलजी तक के इतिहास का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि ये वह समूह है जो न पुरुष है न स्त्री। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान और इतिहास में बहुत से ऐसे तथ्य मौजूद है जो किन्नरों को दो समूहों में बाँटते है परन्तु डॉक्टरी जाँच द्वारा इस तथ्य को नहीं माना जाता क्योंकि एक महिला का अर्थ चिकित्सा विज्ञान में उत्पादन क्षमता से लिया जाता है जबकि किन्नर इस योग्य नहीं होते इस कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि हिजड़े नपुसंक पुरुष होते है इसीलिए कमला जान महिला सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हकदार नहीं है।

नाज फाउडेशन बनाम दिल्ली सरकार और अन्य 2009[4], मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा निर्णय दिया। जिसमें आई.पी.सी. की धारा 377 के तहत न्यायालय द्वारा कानून की संवैधानिक वैद्यता का मूल्यांकन किया और भारत के संविधान के अनु. 14, 15, 19 और 21 के साथ इसकी संगतता का परीक्षण किया। अदालत ने माना कि धारा 377 व्यक्ति के मूलाधिकार का सीधा उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप यह अनु. 21 के सार का उल्लंघन करता है और यह भी कहा कि यौन प्राथमिकताएँ व्यक्ति की गरिमा और निजता के अधिकार के अन्तर्गत आती हैं इसलिए, वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से मुक्त होना चाहिए।

उक्त फैसला यौन अल्पसंख्यकों के लिए एक उल्लास का विषय था। परन्तु देशभर के धार्मिक नेताओं ने इस फैसले की निंदा की जिसके फलस्वरूप उक्त निर्णय के खिलाफ एक याचिका तुरन्त दर्ज की गई।

सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाण्डेशन एस.सी. 2013[5], उक्त मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय के दो जजों ने दिया जिसमें उन्होंने नाज फाण्डेशन मामले में दिये फैसले को पलट दिया और कहा कि आई.पी.सी. की धारा 377 भारत के संविधान के अनु. 14,15,21 का उल्लंघन नहीं करती है साथ ही कहा कि शारीरिक संभोग के अन्तर्गत यदि अप्राकृतिक वासना है तो उसे दण्डित किया जाना चाहिये। जो लोग प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग में शामिल होते है वे विभिन्न आपराधिक श्रेणियों का गठन करते है और यौन अल्पसंख्यक इस बात का दावा

नहीं कर सकते कि आई.पी.सी. की धारा 377 मनमानी है इसलिए आई.पी.सी. की धारा 377 की संवैधानिक वैद्यता को बरकरार रखते हुए गुदा मैथुन को दण्डनीय घोषित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एस.एसी. 2014[6], सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय है जिसने ट्रांसजेण्डर लोगों को तीसरा 'लिंग' घोषित किया, भारत के संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकार ट्रांसजेण्डर लोगों के लिए समान रूप से लागू होने और उन्हें पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में अपने लिंग की अवम्य पहचान का अधिकार दिया। यह निर्णय भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है साथ ही ट्रांसजेण्डर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जायेगा तथा उन्हें शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में प्रवेश में आरक्षण दिया जायेगा।

के.एस. पुट्टुस्वामी (सेवानिवृत) और अन्य बनाम भारत संघ एवं एस.सी. 2017[7], 24 अगस्त 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनु. 21 के तहत निजता का अधिकार एक संरक्षित मौलिक अधिकार है फैसले में आई.पी.सी. की धारा 377 का उल्लेख एक विसंगतिपूर्ण टिप्पणी के रूप में किया गया जो सीधे तौर पर निजता के अधिकार पर संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास पर आधारित है। 9 जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसलें में माना कि सुरेश कुमार कौशल (2013) के फैसले के पीछे तर्क गत्यंत है और इस विचार से सहमति जताई कि निजता के अधिकार से इंकार नही किया जा सकता, भले ही आबादी का एक छोटा सा हिस्सा प्रभावित हो। यौन अभिविन्यास गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है। यौन अभिविन्यास के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव व्यक्ति की गरिमा और आत्म–पहचान के लिए आक्रामक है। समानता की मांग है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास को एक समान मंच पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ 2018, उक्त निर्णय ट्रांसजेण्डर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था क्योंकि इसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को रद्द कर दिया और ट्रांसजेण्डर समुदाय को स्वतंत्र रूप से स्वयं की इच्छा को व्यक्त करके सिर ऊँचा उठाकर चलने की आजादी दी। इस फैसले ने 2013 के सुरेश कुमार कौशल के फैसले को पलट दिया और कहा कि भारत में ट्रांसजेण्डर लोग सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार है, जिसमें भारत के संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता भी शामिल है अपनी पसंद का साथी, यौन अंतसंगता में पूर्णता और भेदभावूपर्ण व्यवहार के अधीन न होने का अधिकार सभी व्यक्तियों जिसमें ट्रांसजेण्डर वर्ग भी शामिल है।

यह निर्णय ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रत्येक सदस्य और अन्य विषम लैंगिकों के लिए एक सराहनीय कदम था।

निष्कर्ष– सभी समाजों ने अपने सदस्यों को पुरुषों और महिलाओं के बीच वर्गीकृत किया है, उम्र, धर्म, त्वचा के रंग, शारीरिक शक्ति या शैक्षिक उलब्धि के आधार पर सदस्यों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। भारतीय इतिहास में, कई यौन भिन्न पहचान मौजूद है जो लिंग पर आधारित है समाज ने लोगों को केवल पुरुषों और महिलाओं में विभाजित किया है इनसे भिन्न जो इन खांचों में फिट नहीं होते उन्हें ही ट्रांसजेण्डर कहा जाता है।

ट्रांसजेण्डर से संबंधित विभिन्न वादों का यहाँ वर्णन किया गया है ताकि विधिक रूप से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, नौकरी आदि के क्षेत्र में ट्रांसजेण्डर्स को समानता देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा 1994 में इन्हें मतदान का अधिकार और 2011 की जनगणना में गिनती जैसे कई

कदम उठा रही है। समय–समय पर अदालत के हस्तक्षेप द्वारा उन्हें सरकार द्वारा अधिकृत तृतीय लिंग श्रेणी में पंजीकृत होने में सुविधा प्रदान की हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थर्डजेण्डर को अधिकारिक मान्यता मिली। इसने उन्हें सरकारी दस्तावेजों में तीसरी श्रेणी में पंजीकृत किया। बदलती परिस्थितियों में परिवार समुदाय, समाज, सरकारी संस्थानों से हस्तक्षेप और उचित अनुकूल वातावरण की शुरूआत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, 50वॉ संस्करण : 2017 पृष्ठ संख्या 38, प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी।
2. सम्पा. डॉ. विजेन्द्र प्रताप सिंह, रवि कुमार गोंड, भारतीय साहित्य एवं समाज में तृतीय लिंग विमर्श पृष्ठ 45।
3. Honorable Justice Mr. S.P. Khare: www.laywerservices.in/kamala-alies-kamala-Jaane-alies-Hijrah-versus-Sadiq-Ali-2003-02-03, Madhya Pradesh High Court Feb 3, 2003,
4. Chief Justice Ajit Prakash Shah, S Muralidhar: https://en.wikipedia.org/wiki/Naz-Foundation-v_Govt._of_NCT_of_DelhiHighCourt, 2 July 2009.
5. G.S. Singhvi, Subhansu Jyoti Mukhopadhaya: https://Indiankanoon.org/doc/587309261 Suresh Kumar Koushal & Anr V/s Naz foundation & ors citation 11 December 2013.
6. Supreme Court of India Judges KS Radhakrishaan & A.K. Sikri: https://translaw.clpr.org.in/case-law/nalsa-third-gender-identity, Citation AIR 2014 SC 1863.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Right-to-Privacy-verdict K.S Putuswami (Retd.) And Anr. vs Unioun of India And ors Writ Petition (Civil) No 494 of 2012 : (2017) 10 Scc 1; AIR 2017 SC 4161
8. https://privacylibrary.ccgnlud.org/case/navtej_singh_johar_and_ors_vs_uion_of_India_voi_and_ors_vs_Union_of_India_Voi_and_ors. AIR 2018 SC 4321 (2018) 10 SCCI.

****